संख्या-556/चौवालिस-1/1989-20/उ0वै0रि0/88

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोयडा
एवं बीडा के मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 1989

विषय :-सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों, नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या, 41 सन् 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय, शासनादेश सं0-304/44-1/उपक्रम वेतन रिपोर्ट-43/1983, दिनांक 29 सितम्बर, 1983, शासनादेश संख्या-1221/44-1/85, दिनांक 27 मई, 1985 एवं सं0-2089/44-1-145/84, दिनांक 11 अगस्त, 1986 के क्रम

में यह आदेश देते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों के पूर्णकालिक सेवकों की सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अवशेष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा 240 दिन की अधिकतम सीमा तक प्रदान की जाय। परन्तु सेवा त्याग करने वाले अथवा सेवाच्युत किये जाने वाले सेवकों को इस प्रकार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2- सेवानिवृत्ति के समय जमा अवशेष अवकाश के समतुल्य नगद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जायेगा :-

$$\text{नगद समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्त के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} * \text{240 दिन की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति के दिनांक को संबंधित सेवा के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या}$$

उक्त वेतन एवं भत्ते का तात्पर्य अर्जित अवकाश के लिए नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन तथा सेवानिवृत्ति को प्रभावी दरों से उक्त अवकाश वेतन पर अनुमन्य महंगाई भत्ता से है। इसके अतिरिक्त उक्त नगद धनराशि के आगणन के लिए अन्य कोई प्रतिकर भत्ता अथवा मकान किराया भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

3- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निलम्बनाधीन कोई सेवक यदि निलम्बन काल में सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह अपने विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को अपने अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का पात्र होगा, बशर्ते कि सेवा में बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह अवधारित करे कि उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित पाया गया।

4- उपर्युक्त सीमा तक पूर्व निर्गत शासनादेशों को संशोधित समझा जाय।

5- ये आदेश दिनांक 1.1.87 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-556 (1)/44-1-1989, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) शासन के संबंधित सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (6 प्रतियों में)
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।